सत्यमेव जयते

| राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| कार्तिक 13, शुक्रवार, *शाके* 1944-नवम्बर 04, 2022<br>*Kartika 13, Friday , Saka 1944- November 04, 2022* | |

**भाग 6 (ग)**

**ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।**

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**

**(पंचायती राज)**

अधिसूचना

**जयपुर, नवम्बर 03, 2022**

**सख्या एफ.15(61)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2022/1432:-** स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/ 22/1725 दिनांक 22.06.2022 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (**i**) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत बडौदा मेव के सम्पूर्ण क्षेत्र को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत बडौदा मेव के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं समीप में आने वाले राजस्व ग्राम पीपलखेडा के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र की विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/22/1725 दिनांक 22.06.2022 की तिथि से ही नवगठित नगरपालिका बडौदा मेव में सम्मिलित ग्राम पंचायत बडौदा मेव के सम्पूर्ण क्षेत्र, पंचायत समिति-गोविन्दगढ, जिला अलवर को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

**आज्ञा से,**
प्रवीण कुमार अग्रवाल,
**उपायुक्त एवं,**
**उप शासन सचिव (प्रथम)।**

---

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।**